मोहम्मद सिद्दीकी और अन्य

विरुद्ध

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य

(2020 की सिविल अपील संख्या 79)

08 जनवरी 2020|

पीठ - [एन. वी. रमण और वी. रामासुब्रमण्यम, जे.जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 – क्षतिपूर्ति - अपीलकर्ताओं के बेटे की सड़क यातायात दुर्घटना में लगी चोटों के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई - पीड़ित मोटर साइकिल पर पीछे बैठने वालों में से एक था और जब एक कार ने मोटर साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी तो वह वाहन से गिर गया – न्यायाधिकरण ने पाया कि दुर्घटना कार को तेजी और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी और कुल देय क्षतिपूर्ति के रुप में रुपये 11,66,800/- की राशि के निष्कर्ष पर पहुंचा - इस निष्कर्ष की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, हालांकि इस शर्त के साथ कि पीड़ित अंशदायी लापरवाही का दोषी था, क्योंकि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार थे, जिसके लिए आवश्यक रुप से दिए गए क्षतिपूर्ति का 10% कम कर दिया जाय - उच्च न्यायालय ने क्षतिपूर्ति घटाकर रु. 4,14,000/- कर दिया - अपील पर अभिनिर्धारित किया गया कि : उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मोटर साइकिल पर पीछे की सीट पर बैठे 2 व्यक्तियों के कारण असंतुलन हो सकता था, कुछ और नहीं बल्कि काल्पनिक है और यह न तो अभिवचन पर आधारित है और न ही अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर आधारित है - किसी सबूत के अभाव में यह कहना कि मृतक पीड़ित की ओर से गलत कार्य द्वारा दुर्घटना में योगदान दिया गया था या लगी चोटों की प्रकृति में योगदान दिया गया था, उसे अंशदायी लापरवाही का दोषी नहीं माना जा सकता है - इसके अलावा उच्च न्यायालय द्वारा साक्षी संख्या - 2 के साक्ष्य को अस्वीकार करने में तथा मृतक के रोजगार और मासिक आय के संबंध में प्रस्तुत वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु 18 के बजाय 14 के गुणक को लागू करने में चूक की गयी है और इसलिए अंशदायी लापरवाही के लिए 10% की कटौती अनुचित थी और उच्च न्यायालय द्वारा न्यायधिकरण के निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जाना भी अनुचित था- इसलिए उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त करते हुए न्यायाधिकरण के पंचाट को बहाल किया गया।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया किः 1. यह तथ्य कि मृतक मोटरसाईकिल पर चालक एवं एक अन्य के साथ सवार था स्वंय में उसे अंशदायी उपेक्षा का उत्तरदायी नहीं

बनाता जब तक कि इससे अधिक कुछ और हो जो उसे अंशदायी लापरवाही का दोषी बनाए। अधिक से अधिक यह उसे कानून के उल्लंघन में एक पक्ष होने के नाते दोषी ठहरा सकता है । मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 128 दोपहिया मोटर साइकिल के चालक पर मोटर साइकिल पर एक से अधिक व्यक्तियों को नहीं ले जाने पर प्रतिबंध लगाती है। धारा 194-सी जो 2019 के संशोधन अधिनियम सं. 32 द्वारा सम्मिलित की गयी है, मोटर साइकिल चालकों और पीछे बैठने वाले के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए जुर्माना उपबंधित करती है, इसलिए यह तथ्य कि मोटर साइकिल पर चालक के साथ एक व्यक्ति पीछे बैठा था और पीछे की सीट पर एक और व्यक्ति बैठा था, कानून का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन इस तरह के उल्लंघन से बिना किसी और बात के अंशदायी लापरवाही का पता नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि दो अन्य लोगों के साथ सवारी करने के उसके कार्य ने या तो दुर्घटना में योगदान दिया या पीड़ित पर दुर्घटना के प्रभाव में योगदान दिया। उल्लंघन और दुर्घटना के बीच या तो कारणात्मक संबंध होना चाहिए या उल्लंघन और पीड़ित पर दुर्घटना के प्रभाव के बीच कारणात्मक संबंध होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि यदि पीड़ित ने कानून का उल्लंघन नहीं किया होता तो दुर्घटना को टाला जा सकता था या लगी चोटें कुछ हद तक गंभीर हो सकती थी, अन्यथा जो साधारण चोट हो सकती थी, पीड़ित द्वारा कानून के उल्लंघन के कारण उसे गंभीर चोट लग सकती थी या मृत्यु भी हो सकती थी, ऐसे मामलों में जहां कानून के उल्लंघन के लिए या तो दुर्घटना को टाला जा सकता था या प्रभाव को कम किया जा सकता था, अंशदायी लापरवाही के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। बीमाकर्ता का यह मामला नहीं है कि दुर्घटना मोटर साइकिल पर तीन व्यक्तियों के सवार होने के कारण हुई तथा बीमाकर्ता का यह भी मामला नहीं है कि मोटरसाईकिल पर तीन व्यक्ति सवार नहीं होते तो दुर्घटना टल जाती। यह स्वीकृत तथ्य है कि कार द्वारा मोटरसाईकिल को पीछे से धक्का मारा गया था तथा दिलचस्प बात यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा अपने निष्कर्ष में यह अंकित किया गया है कि मृतक हेलमेट पहना हुआ था और कार द्वारा मोटरसाईकिल को पीछे से टक्कर मारने के बाद ही वह निचे गिरा था और इसे चुनौती भी नहीं दी गयी है इसलिए उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मोटरसाईकिल पर पीछे की सीट पर दो लोग के बैठने के कारण असंतुलन बढ़ सकता है, मात्र काल्पनिक है और यह न तो अभिवचन पर आधारित है और न ही अभिलेख पर उपलब्य साक्ष्यों पर तथा साक्षी सं. 3 के साक्ष्य से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता कि पीछे के सीट पर दो व्यक्तियों के बैठने से असंतुलन हुआ। [पैरा 13] [939-एफ-एच; 940-एफ-एफ]

2. इसलिए किसी सबूत के अभाव में यह दिखाने के लिए कि मृतक पीड़ित की ओर से किया गया गलत कार्य या तो दुर्घटना में योगदान देता है या दुर्घटना के प्रभाव में पीड़ित पर चोटों की प्रकृति में योगदान देता है, उसे योगदायी लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए अंशदायी लापरवाही के लिए 10% की कटौती स्पष्ट रूप से अनुचित है और इसे रद्द किया जाना चाहिए [पैरा 14] [940-एफ-जी]

3. दूसरा मुद्दा जिस पर उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायाधिकरण के निर्णय को पलट दिया गया, वह मृतक के रोजगार और उसके द्वारा अर्जित मासिक आय से संबंधित था। दावेदारों के अनुसार दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 23 वर्ष थी और वह मैट्रिक पास भी नहीं था, लेकिन कहा गया कि उसे एक मालिकाना प्रतिष्ठान में 9600/- रुपये के मासिक वेतन पर नियोजित किया गया था जिसके समर्थन में प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक साक्षी स. 2 के रुप में परीक्षित किया गया था जिसने वेतन प्रमाण पत्र को Ex.PW-1/8 के रूप में प्रदर्श अंकित कराया था और न्यायाधिकरण को साक्ष्य दर्ज करने का अवसर प्राप्त था और उस दौरान उसे साक्षी के भाव-भंगिमा को भी देखने का अवसर प्राप्त था, ने स्पष्ट रुप से यह निष्कर्ष अंकित किया है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बनता है। [पैरा 15][940-एच;941-ए-बी]

4. लेकिन दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने सोचा कि नियोक्ता को अपने रोजगार की प्रकृति और मासिक आय को प्रमाणित करने के लिए वेतन वाउचर और आयकर रिटर्न सहित अन्य अभिलेख पेश करना चाहिए था जो रोजगार की प्रकृति और मासिक आय को सम्पुष्ट करते और इस आधार पर कि अन्य अभिलेखों के अभाव में, वेतन प्रमाण-पत्र और नियोक्ता की गवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक समय पर अकुशल श्रमिकों के लिए भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी को आधार (बेंचमार्क) बनाया गया। [पैरा 16]| 941-सी]

5. लेकिन इस न्यायालय को नहीं लगता कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि साक्षी सं. 2 के प्रतिपरीक्षण के दौरान उससे वेतन बाउचर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि जिसपर उसने यह उत्तर दिया है कि उसके प्रतिष्ठान का व्यवसाय बंद हो गया है और उसके अभिलेख उपलब्ध नहीं है जो उच्च न्यायालय द्वारा साक्षी सं. 2 के साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकता है। [पैरा 17]| 941-डी]

6. उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि न्यायाधिकरण मौखिक साक्ष्य की विवेचना करने के लिए प्रथम दृष्टया बेहतर स्थिति में था जब तक कि साक्षी स. 2 का मौखिक साक्ष्य अटूट और विश्वसनीय रहा और इसलिए उसके द्वारा उसपर विश्वास किया गया जिसे उच्च न्यायालच द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं था कि साक्षी सं. 2 को इसी उद्देश्य से इस मामले में साक्षी के रुप में प्रस्तुत किया गया था और यह कि उसके कथनों में कोई विरोधाभास था। नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित गवाही के विपरीत उच्च न्यायालय को अकुशल रोजगार श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से संबंधित सैद्धांतिक धारणा को नहीं चुनना चाहिए था। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के मासिक आय के निर्धारण हेतु न्यायाधिकरण द्वारा अंकित किये गये निष्कर्षो में हस्तक्षेप किया जाना अनुचित था। [पैरा 18][941-ई-जी]

7. गुणक से संबंधित अंतिम मुद्दे पर आते हुए न्यायाधिकरण द्वारा दुर्घटना के समय मृतक की उम्र के आधार पर 18 का गुणक लागू किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस आधार पर 14 का गुणक लागू किया कि गुणक का विकल्प या तो पीड़ित की उम्र या दावेदारों की उम्र, जो भी अधिक हो, पर निर्भर होना चाहिए। [पैरा 19][941-जी-एच; 942-ए]

8. लेकिन दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय यह ध्यान देने में विफल रहा कि दिनांक 06-01-1993 को सुसम्मा थॉमस के मामले में निर्णय दिया गया था कि 1994 के अधिनियम सं. 54 के तहत दूसरी अनुसूची के सामिल किये जाने से पहले न्यायालय की चिंता यह थी कि क्या गुणक विधि जो निर्भरता की हानि का पता लगाने के लिए डेविस बनाम पॉवेल (1942)एसी 601 में प्रतिपादित किया गया था या वैकल्पिक विधि का पालन किया जाना चाहिए जो नेंस बनाम ब्रिटिशकोलंबिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आईटीडी (1951) एसी 601 में विकसित किया गया था। [पैरा 21] [942-ई-एफ]

9. त्रिलोक चंद्रा के मामले में सुसम्मा थॉमस मामले में प्रतिपादित इस सिद्धांत को सम्पुष्ट किया गया था कि क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु गुणक विधि सबसे उपयुक्त विधि है जिसे 1939 के अधिनियम की धारा 110बी के आधार पर लागू करने से नहीं कतराना चाहिए।

त्रिलोक चंद्र के मामले में यह भी अंकित किया गया है कि अधिनियम में 1994 के संशोधन द्वारा धारा 163ए और द्वितीय अनुसूची को सामिल किया गया था। यद्यपि त्रिलोक चंद्र (अंतिम पैराग्राफ में) में यह इंगित किया गया है कि गुणक का चयन सभी मामलों में केवल मृतक की उम्र पर निर्भर नहीं हो सकता है क्योंकि मृतक की उम्र और दावेदार की उम्र के बीच चयन का सवाल उस मामले में मुद्दा नहीं था जो सीधे विचार के लिए उठा। [पैरा 22][942-एफ-जी; 943-ए]

10. निर्णय के पैरा 40 के अनुसार सरला वर्मा के मामले में अंततः जो सिफारिश की गई थी, वह एक गुणक था जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित गुणक के साथ सुसम्मा थॉमस, त्रिलोक चंद्र और चार्ली के मामले में दिये गये सिद्धांतों को मिलाकर निकाला गया था। [पैरा 24] सी[944-बी]

11. हालाँकि जब रेशमा कुमारी बनाम मदन मोहन का मामला दो सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो पीठ द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुणक को किसी मामले में धारा 166 के तहत क्षतिपूर्ती की राशि की गणना करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लिया जाना चाहिए, इसपर विशेष रूप से द्वितीय अनुसूची में त्रिलोक चंद्र के मामले में बताए गए दोषों के प्रकाश में एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है। तीन सदस्यीय पीठ ने त्रिलोक चंद्र और उसके बाद के निर्णयों पर व्यापक रूप से विचार किया और सरला वर्मा के मामले में प्रदान की गई तालिका को मंजूरी दे दी। रेशमा कुमारी की रिपोर्ट के पैरा 37 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि सरला वर्मा का अनुसरण किया जाए तो घातक दुर्घटना के मामलों में गुणक के चयन में व्यापक बदलाव से बचा जा सकता है। [पैरा 25] [944-सी-डी]

12. उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में किसी भी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं थी और उच्च न्यायालय द्वारा एक ओर त्रिलोक चंद्र और दूसरी ओर उसके बाद के निर्णयों के बीच संघर्ष की कल्पना की गयी थी। [पैरा 27][944-जी]

13. इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा (i) पीड़ित को अंशदायी लापरवाही का दोषी ठहराने, (ii) मृतक के रोजगार एवं मासिक आय के निर्धारण में साक्षी सं. 2 के साक्ष्य को अस्वीकार करने और (iii)

18 के बजाय 14 का गुणक लागू करने में चूक की गयी है इसलिए अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा बिना किसी खर्चे के आदेश के न्यायाधिकरण के पंचाट को बहाल किया जाता है। [पैरा 29][945-बी]

मुन्ना लाल जैन बनाम विपिन कुमार शर्मा जेटी 2015 (5)एससी 1: [2015] 7 एससीआर 207 - पर भरोसा किया गया।

यूपीएसआरटीसी बनाम त्रिलोक चंद्रा (1996) 4 एससीसी 362: [1996]2 सप्लीमेन्ट्री, एससीआर 44; *महाप्रबंधक केरल एसआरटीसी बनाम सुसम्मा थॉमस* (1994) 2 एससीसी 176; *सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य* (2009) 6एससीसी 121: [2009] 5 एससीआर 1098; *रेशमी कुमारी एवं अन्य बनाम मदन मोहन एवं अन्य* (2013) 9 एससीसी 65: [2013] 2एससीआर 706; *सुसम्मा थॉमस, त्रिलोक चंद्रा और चार्ली* (2005) 10 एससीसी 720: [2005] 2 एससीआर 1173 – उध्दत।

कानूनी मामलों का उद्धरण

[1996] 2 पूरक एससीआर 44 उध्दत पैरा 9
(1994) 2 एससीसी 176 उध्दत पैरा 19
[2009] 5 एससीआर 1098 उध्दत पैरा 20
[2013] 2 एससीआर 706 उध्दत पैरा 20
[2015] 7 एससीआर 207 भरोसा किया पैरा 20
[2005] 2 एससीआर 1173 उध्दत पैरा 24

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2020 का सिविल अपील संख्या 79
2016 के MAC.APP नंबर 431 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 18-07-2017 को दिये गये निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

अपीलकर्ताओं की ओर से - सुश्री सविता सिंह, अधिवक्ता।
उत्तरदाताओं की ओर से - रोहित के. सिन्हा, टी. महिपाल, अजय जैन, जिनेन्द्र जैन, ब्रिजेश यादव, अभिषेक जैन, आई.सी. जैन, अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ती वी. रामासुब्रमण्यन के द्वारा सुनाया गया।

1. अपील सुनवाई हेतु स्वीकृत की गयी।
2. प्रस्तुत अपील अपीलकर्ताओं, मृतक दुर्घटना पीड़ित के माता-पिता के द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ती की धनराशि रुपये 11,66,800/- को उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश से कम करते हुए रुपये 4,14,000/- करने के आदेश से व्यथित होकर लाया गया है।

3. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता एवं बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता वकील को सुना।

4. मामले के स्वीकृत तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं का बेटा जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी की मृत्यु दिनांक 5.09.2008 को हुई सड़क यातायात दुर्घटना में लगी चोटों के परिणामस्वरूप दिनांक 7.09.2008 को हो गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित मोटर साइकिल पर सवार दो लोगों में से एक था और जब एक कार ने मोटर साइकिल को पीछे से टक्कर मारी तो वह वाहन से गिर गया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने पाया कि दुर्घटना तेजी एवं लापरवाही से कार चलाने के कारण हुई जिसकी सम्पुष्टि उच्च न्यायालय के द्वारा इस शर्त के साथ की गयी कि पीड़ित भी अंशदायी लापरवाही का दोषी था, क्योंकि दुर्घटना के समय मोटर साइकिल पर 3 व्यक्ति सवार थे और इसलिए दिये गए क्षतिपूर्ती की मात्रा में से 10% की कटौती की जानी आवश्यक थी।

5. क्षतिपूर्ती की मात्रा के सवाल पर अपीलकर्ताओं ने यह दावा किया कि दुर्घटना के समय उनके बेटे की उम्र 23 वर्ष थी और वह 9600/- रुपये के मासिक वेतन पर एक मालिकाना कंपनी में कार्यरत था। नियोक्ता को साक्षी सं. 2 के रुप में परीक्षित कराया गया था जिसके दौरान उसके द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्र को पी-1/8 के रूप में अंकित किया गया। साक्षी सं- 2 के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलने पर न्यायाधिकरण द्वारा देय क्षतिपूर्ती के निर्धारण में 18 का गुणक लागू किया गया और व्यक्तिगत खर्चों के लिए वेतन का 50% काटने के बाद निर्भरता के नुकसान के लिए 10,36,800/- रुपये की राशि का निर्धारण किया गया क्योंकि मृतक पीड़ित एक अविवाहित पुरुष था। इसके अलावा न्यायाधिकरण द्वारा प्यार और स्नेह की हानि के लिए 1,00,000/- रुपये तथा 20,000/- रुपये अंतिम संस्कार के खर्च के लिए और 10,000/- रुपये संपदा के नुकसान के लिए जोड़ते हुए कुल रुपये 11,66,800/- देय क्षतिपूर्ती का निर्धारण किया गया।

6. न्यायाधिकरण के उपरोक्त पंचाट के विरुध बीमा कंपनी द्वारा धारा – 173 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत एक सांविधिक अपील निम्नलिखित आधार पर दायर की गयी कि- (i) मृतक

पीड़ित अंशदायी उपेक्षा का दोषी था क्योंकि वह मोटरसाईकिल पर खुद एवं दो अन्य लोगों के साथ सवार था और (ii) मृतक के रोजगार एवं आय के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया गया है।

7. बीमा कंपनी द्वारा अपील में किए गये प्रथम तर्क पर उच्च न्यायालच द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि कि यह सही है कि मोटर साईकिल को जिसपर मृतक पीड़ित सवार का उसे पीछे से एक तेज रफ्तार कार द्वारा टक्कर मारा गया था फिर भी मृतक अंशदायी उपेक्षा का दोषी था क्योंकि वह स्वयं एवं दो अन्य व्यक्तियों के साथ मोटरसाईकिल पर सवार था और इसलिए उच्च न्यायालय इस पर निष्कर्ष पर पहुँचा कि क्षतिपूर्ती हेतु देय धनराशि के 10 प्रतिशत राशि की कटौती योगदायी उपेक्षा के लिए किया जाना चाहिए।

8. बीमा कंपनी द्वारा अपील में लिए गये दूसरे आधार पर उच्च न्यायालच द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूँकि नियोक्ता द्वारा मृतक को दिए गये वेतन की मात्रा को प्रमाणित करने के लिए कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए मृतक की आय के आंकलन हेतु प्रासंगिक समय पर एक अकुशल श्रमिक को देय न्यूनतम मजदूरी को आधार बनाकर गणना किया जा सकता है। तदनुसार उच्च न्यायालच द्वारा दुर्घटना के समय मृतक की आय 3683/- रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया जो उस समय अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी थी।

9. जहाँ तक गुणक के लागू करने का सवाल है, उच्च न्यायालच ने यूपीएसआरटीसी बनाम त्रिलोक चन्द्रा[1] के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के आधार पर 18 के गुणक के बजाय 14 के गुणक को लागू किया क्योंकि त्रिलोक चन्द्रा में गुणक के चयन हेतु यह अभिनिर्धारित है कि उक्त चयन मृतक की आयु या दावेदारों की आयु, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाना चाहिए। परिणाम स्वरुप उच्च न्यायालच ने देय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार से की – मासिक आय के रुप में 3683/- रुपये, व्यक्तिगत खर्चों के लिए उस पर 50 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी एवं 14 का गुणक लागू करते हुए कुल 3,10,000/- रुपये निर्धारित किया तथा न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट में प्यार एवं स्नेह की हानि के लिए दी गयी 1,00,000/- रुपये की राशि को सम्पुष्ट किया लेकिन अंत्येष्टि खर्च एवं सम्पदा के नुकसान प्रत्येक के लिए दी जाने वाली 10,000/- रुपये, की राशि को बढ़ाकर 25,000/- रुपये कर दिया गया।

10. इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा कुल देय क्षतिपूर्ति रुपये 4,60,000/- (जिसमें शामिल है - रुपये 3,10,000/- निर्भरता नुकसान तथा रुपये 1,00,000/- प्यार एवं स्नेह हानि तथा रुपये 25,000/- अंत्येष्टि खर्च एवं रुपये 25,000/- सम्पदा की हानि) में से 10 प्रतिशत अंशदायी उपेक्षा के लिए कटौती

[1](1996) 4 एस.सी.सी 362

करते हुए रुपये 4,14,000/- (रुपये 4,60,000/- में से रुपये 46,000/- घटाकर) निर्धारित कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण हमारे पास आये हैं।

11. जैसा कि उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालच द्वारा निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर न्यायाधिकरण के पंचाट (निर्णय) में हस्तक्षेप किया गया है, अर्थात – (i) अंशदायी उपेक्षा, (ii) मृतक की मासिक आय और (iii) लागू किये जाने वाला गुणक। **अतः अब यह निर्धारित करना है कि क्या उच्च न्यायालय उपरोक्त प्रत्येक बिन्दुओं पर हस्तक्षेप करने में सही था?**

12. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना 5.09.2008 को लगभग 2:00 बजे हुई थी इसलिए सड़क पर भारी ट्रैफिक की संभावना नहीं थी। न्यायाधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सम्पुष्टि की गई थी, यह था कि जिस मोटर साइकिल पर मृतक यात्रा कर रहा था उसे पीछे से कार ने टक्कर मार दी थी और इसलिए यह स्पष्ट था कि दुर्घटना कार की तेजी एवं लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी। वास्तव में उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 4 में यह पुष्टि की गयी है कि मोटर साइकिल को कार ने पीछे से टक्कर मारी थी, लेकिन फिर भी यह माना गया कि मोटर साइकिल पर तीन लोगों के सवार होने से असंतुलन बढ़ सकता था। उच्च न्यायालय के आदेश के पैराग्राफ 4 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"सबूतों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद, इस न्यायालय को बीमा कंपनी की दलील में दम नजर आया। हालांकि यह सही है कि दुर्घटना कारित करने वाली कार को अपने आगे चल रही मोटर साइकिल पर पीछे से हमला करने की कोई जरूरत नहीं थी, भले ही मोटर साइकिल किसी अन्य वाहन को ओवरटेक करने की अनुमति देने के लिए लेन बदल रही हो, यह तथ्य कि एक मोटर वाहन जिसमें केवल दो व्यक्ति ही सवार हो सकते हैं, उसमें चालक के अलावा दो व्यक्ति और पीछे की सीट पर बैठे थे, इससे निस्संदेह असंतुलन बढ़ गया होगा।"

13. परंतु हमारी दृष्टि में उपरोक्त कारण त्रुटिपूर्ण है। ***यह तथ्य कि मृतक ड्राइवर एवं एक अन्य व्यक्ति के साथ मोटर साईकिल पर सवार था, बिना किसी और बात के स्वयं में उसे अंशदायी लापरवाही का दोषी नहीं बना सकता है,*** अधिक से अधिक यह उसे कानून के उल्लंघन में एक पक्ष होने का दोषी ठहरा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 128 दो पहिया मोटर साईकिल के चालक पर मोटर साईकिल पर एक से अधिक से अधिक व्यक्तियों नहीं ले जाने का प्रतिबंध लगाती है जबकि 2019 के संशोधन अधिनियम 32 द्वारा जोड़ी गयी धारा 194-सी, मोटर साईकिल चालको और पीछे की सीट पर बैठने के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए जुर्माने का उपबंध करती है इसलिए यह तथ्य कि एक व्यक्ति, ड्राईवर एवं एक अन्य के साथ मोटर साईकिल पर पीछे बैठा था, कानून के उल्लंघन का दोषी हो सकता है लेकिन इस तरह का उल्लंघन स्वयं में बिना किसी और बात के अंशदायी उपेक्षा का निष्कर्ष

नहीं निकाल सकता है जब तक कि उसके उक्त कार्य से यह स्थापित नहीं हो जाता है कि उसका वह कार्य या तो दुर्घटना में योगदान दिया है या पीड़ित पर दुर्घटना के प्रभाव में योगदान दिया हो। ***या तो उल्लंघन और दुर्घटना के बीच कोई कारणात्मक संबंध होना चाहिए या फिर उल्लंघन और पीड़ित पर दुर्घटना के प्रभाव के बीच कोई कारणात्मक संबंध होना चाहिए।*** कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि यदि पीड़ित ने कानून का उल्लंघन न किया होता तो दुर्घटना को टाला जा सकता था या लगी चोटें कम गंभीर हो सकती थीं अन्यथा वह परिणाम साधारण चोट के रूप में हो सकता था, उसके परिणामस्वरूप पीड़ित द्वारा कानून के उल्लंघन के कारण गंभीर चोट या यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती थी। ***ऐसे मामलों में जहां कानून के उल्लंघन के अलावा या तो दुर्घटना को टाला जा सकता था या प्रभाव को कम किया जा सकता था, अंशदायी लापरवाही के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है।*** बीमाकर्ता का मामला यह नहीं है कि मोटर साइकिल पर तीन व्यक्तियों के सवार होने के कारण ही दुर्घटना हुई और न हीं बीमाकर्ता का मामला यह है कि यदि मोटर साइकिल पर तीन व्यक्ति सवार नहीं होते तो दुर्घटना टल जाती। यह स्वीकृत तथ्य है कि मोटर साइकिल को कार ने पीछे से टक्कर मारी थी तथा दिलचस्प बात यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा अपने निष्कर्ष में यह अंकित किया गया है कि मृतक ने हेल्मेट पहन रखा था और कार ने मोटर साइकिल को पीछे से टक्कर मारी थी जिसके कारण वह निचे गिर गया था और इसे चुनौती भी नहीं दी गयी है इसलिए उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मोटरसाईकिल पर पीछे की सीट पर दो लोग के बैठने के कारण असंतुलन बढ़ गया होगा, मात्र काल्पनिक है और यह न तो अभिवचन पर आधारित है और न ही अभिलेख पर उपलब्य साक्ष्यों पर तथा साक्षी सं. 3 के साक्ष्य से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता कि पीछे के सीट पर दो व्यक्तियों के बैठने से असंतुलन हुआ।

14. इसलिए किसी सबूत के अभाव में यह दिखाने के लिए कि मृतक पीड़ित की ओर से किया गया गलत कार्य या तो दुर्घटना में योगदान देता है या दुर्घटना के प्रभाव में पीड़ित पर चोटों की प्रकृति में योगदान देता है, उसे योगदायी लापरवाही का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए अंशदायी लापरवाही के लिए 10% की कटौती स्पष्ट रूप से अनुचित है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

15. दूसरा मुद्दा जिस पर उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायाधिकरण के निर्णय को पलट दिया गया, वह मृतक के रोजगार और उसके द्वारा अर्जित मासिक आय से संबंधित था। दावेदारों के अनुसार दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 23 वर्ष थी और वह मैट्रिक पास भी नहीं था,

लेकिन कहा गया कि उसे एक मालिकाना प्रतिष्ठान में 9600/- रुपये के मासिक वेतन पर नियोजित किया गया था जिसके समर्थन में प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक साक्षी स. 2 के रुप में परीक्षित किया गया था जिसने वेतन प्रमाण पत्र को Ex.PW-1/8 के रूप में प्रदर्श अंकित कराया था और न्यायाधिकरण को साक्ष्य दर्ज करने का अवसर प्राप्त था और उस दौरान उसे साक्षी के भाव-भंगिमा को भी देखने का अवसर प्राप्त था, ने स्पष्ट रुप से यह निष्कर्ष अंकित किया है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बनता है।

16. लेकिन दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने सोचा कि नियोक्ता को अपने रोजगार की प्रकृति और मासिक आय को प्रमाणित करने के लिए वेतन वाउचर और आयकर रिटर्न सहित अन्य अभिलेख पेश करना चाहिए था जो रोजगार की प्रकृति और मासिक आय को सम्पुष्ट करते और इस आधार पर कि अन्य अभिलेखों के अभाव में, वेतन प्रमाण-पत्र और नियोक्ता की गवाही को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक समय पर अकुशल श्रमिकों के लिए भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी को आधार (बेंचमार्क) बनाया गया।

17. लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दी जानी चाहिए क्योंकि साक्षी सं. 2 के प्रतिपरीक्षण के दौरान उससे वेतन बाउचर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि जिसपर उसने यह उत्तर दिया है कि उसके प्रतिष्ठान का व्यवसाय बंद हो गया है और उसके अभिलेख उपलब्ध नहीं है और यह उच्च न्यायालय द्वारा साक्षी सं. 2 के साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकता है।

18. उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि न्यायाधिकरण मौखिक साक्ष्य की विवेचना करने के लिए प्रथम दृष्टया बेहतर स्थिति में था जब तक कि साक्षी स. 2 का मौखिक साक्ष्य अटूट और विश्वसनीय रहा और इसलिए उसके द्वारा उसपर विश्वास किया गया जिसे उच्च न्यायालच द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं था कि साक्षी सं. 2 को इसी उद्देश्य से इस मामले में साक्षी के रुप में प्रस्तुत किया गया था और यह कि उसके कथनों में कोई विरोधाभास था। नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित गवाही के विपरीत उच्च न्यायालय को अकुशल रोजगार श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से संबंधित सैद्धांतिक धारणा को नहीं चुनना चाहिए था। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के मासिक आय के निर्धारण हेतु न्यायाधिकरण द्वारा अंकित किये गये निष्कर्षो में हस्तक्षेप किया जाना अनुचित था।

19. गुणक से संबंधित अंतिम मुद्दे पर आते हुए न्यायाधिकरण द्वारा दुर्घटना के समय मृतक की उम्र के आधार पर 18 का गुणक लागू किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस आधार पर 14 का गुणक लागू किया कि गुणक का विकल्प या तो पीड़ित की उम्र या दावेदारों की उम्र, जो भी अधिक हो, पर निर्भर

होना चाहिए। उच्च न्यायालय के अनुसार महाप्रबंधक केरला एसआरटीसी बनाम सुसम्मा थॉमस[2] में यही अनुपात अभिनिर्धारित किया गया था जिसे यूपीएसआरटीसी बनाम त्रिलोक चन्द्रा (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के तीन सदस्यीय पीठ भी अनुमोदित किया गया था।

20. उच्च न्यायालय द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि केवल मृतक के उम्र के आधार पर गुड़क के चयन जिसे सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य[3] में अनुमोदित किया गया था को बाद के दो निर्णयों अर्थात (1) रेशमी कुमारी एवं अन्य बनाम मदन मोहन एवं अन्य[4] और (2) मुन्ना लाल जैन बनाम बिपिन कुमार शर्मा[5] में भी स्वीकृति मिली थी लेकिन उच्च न्यायालय का यह मत था कि सुसम्मा थॉमस और त्रिलोक चन्द्रा के मामले साधे तौर पर गुणक के चयन के संबंध में थे और उक्त प्रश्न जो उन दोनों निर्णयों में परिकल्पित किया गया है को सरला वर्मा के मामले में न तो उठाया गया और न ही विचार किया गया और न ही उसपर कोई फैसला सुनाया गया। उच्च न्यायालय के अनुसार दावेदारों की उम्र का प्रभाव, उन मामलों में जहां यह मृतक की उम्र से अधिक पाया जाता है, रेशमा कुमारी और मुन्ना लाल जैन के मामले में विचार के लिए नहीं आया था इसलिए उच्च न्यायालय का यह मत था कि वह त्रिलोक चन्द्रा मामले में निर्धारित अनुपात का पालन करने के लिए बाध्य है।

21. लेकिन दुर्भाग्यवश उच्च न्यायालय यह ध्यान देने में विफल रहा कि सुसम्मा थॉमस के मामले में निर्णय 1994 के अधिनियम सं. 54 के तहत दूसरी अनुसूची के सामिल किये जाने से पहले दिनांक 06-01-1993 को दिया गया था। इसके अलावा सुसम्मा थॉमस के मामले में न्यायालय की चिंता यह थी कि क्या गुणक विधि जो निर्भरता की हानि का पता लगाने के लिए डेविस बनाम पॉवेल (1942)एसी 601 में प्रतिपादित किया गया था या वैकल्पिक विधि का पालन किया जाना चाहिए जो नेंस बनाम ब्रिटिशकोलंबिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आईटीडी (1951) एसी 601 में विकसित किया गया था।

22. त्रिलोक चंद्रा के मामले में सुसम्मा थॉमस मामले में प्रतिपादित इस सिद्धांत को मात्र सम्पुष्ट किया गया था कि क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु गुणक विधि सबसे उपयुक्त विधि है जिसे 1939 के अधिनियम की धारा 110बी के आधार पर लागू करने से नहीं कतराना चाहिए। त्रिलोक चंद्रा के मामले में यह भी अंकित किया गया है कि अधिनियम में 1994 के संशोधन द्वारा धारा 163ए और द्वितीय अनुसूची को सामिल किया गया था। यद्यपि त्रिलोक चंद्र (अंतिम पैराग्राफ में) में यह इंगित किया गया है

---

[2](1994) 2 एस.सी.सी 176,
[3](2009) 6 एस.सी.सी 121,
[4](2013) 9 एस.सी.सी 65,
[5]जेटी2015 (5) एस.सी. 1

कि गुणक का चयन सभी मामलों में केवल मृतक की उम्र पर निर्भर नहीं हो सकता है क्योंकि मृतक की उम्र और दावेदार की उम्र के बीच चयन का सवाल उस मामले में मुद्दा नहीं था जो सीधे विचार के लिए उठा।

23. लेकिन सरला वर्मा मामले में हालांकि दो सदस्यीय पीठ द्वारा सुसम्मा के साथ-साथ त्रिलोक चंद्रा के मामले पर भी ध्यान दिया गया और अपने निर्णय के पैराग्राफ 41 और 42 में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है:

"41. न्यायाधिकरण/अदालतें अलग-अलग गुणकों को अपनाती है और लागू करती हैं। कुछ सुसम्मा थॉमस के संदर्भ में गुणक का पालन करते हैं [उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में निर्धारित], कुछ त्रिलोक चंद्रा के संदर्भ में गुणक का पालन करते हैं [उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) में निर्धारित], कुछ चार्ली के संदर्भ में गुणक का पालन करते हैं [उपरोक्त तालिका के कॉलम (4) में निर्धारित], कई एमवी अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में तालिका के दूसरे कॉलम में दिए गए गुणक का पालन करते हैं [कॉलम से निकाला गया (5) उपरोक्त तालिका] और कुछ मुआवजे की मात्रा की गणना करते समय वास्तव में दूसरी अनुसूची में अपनाए गए गुणक का पालन करते हैं [उपरोक्त तालिका के कॉलम (6) में निर्धारित]। उदाहरण के लिए यदि मृतक की आयु 38 वर्ष है तो गुणक सुसम्मा थॉमस के अनुसार 12, त्रिलोक चंद्र के अनुसार 14, चार्ली के अनुसार 15, या मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के कॉलम (2) में दिए गए गुणक के अनुसार 16 या दूसरी अनुसूची में अपनाए गए गुणक के अनुसार 15 होगा। इस मामले में कुछ न्यायाधिकरण सेवानिवृत्ति की आयु के संदर्भ में सेवा के शेष वर्षों को लेकर 22 का गुणक लागू करते हैं। इस प्रकार की विसंगति से बचना आवश्यक है। हम धारा 166 के तहत आने वाले मामलों से चिंतित हैं, न कि एमवी अधिनियम की धारा 163ए के तहत।

42. इसलिए हम मानते है कि उपयोग किये जाने वाले गुणक को उपरोक्त तालिका के कालम 4 में उल्लिखित होना चाहिए (सुसम्मा थामस, त्रिलोक चन्द्रा और चार्ली को लागू करके तैयार किया गया है जो 18 के गुणक को लागु करने से शुरू होता है (आयु वर्ग 15 से 20 एवं 21 से 25) और हर साल के लिए एक यूनिट कम हो जाता है यानि 26 से 30 आयु वर्ग के लिए गुणक एम-17, 31 से 35 साल के लिए एम-16, 36 से 40 साल के लिए एम-15, 41 से 45 साल के लिए एम-14, 46 से 50 साल के लिए एम-13, और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के लिए दो यूनिट कम हो जाएगा

यानि 51 से 55 वर्ष के लिए एम-11, 56 से 60 वर्ष के लिए एम-9, 61 से 65 वर्ष के लिए एम-7, 66 से 70 वर्ष के लिए एम-5।"

24. निर्णय के पैरा 40 के अनुसार सरला वर्मा के मामले में अंततः जो सिफारिश की गई थी, वह एक गुणक था जो द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित गुणक के साथ सुसम्मा थॉमस, त्रिलोक चंद्र और चार्ली के मामले में दिये गये सिद्धांतों को मिलाकर निकाला गया था।

25. हालाँकि जब रेशमा कुमारी बनाम मदन मोहन का मामला दो सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो पीठ द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया गया कि क्या द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुणक को किसी मामले में धारा 166 के तहत क्षतिपूर्ती की राशि की गणना करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लिया जाना चाहिए, इसपर विशेष रूप से द्वितीय अनुसूची में त्रिलोक चंद्र के मामले में बताए गए दोषों के प्रकाश में एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है। तीन सदस्यीय पीठ ने त्रिलोक चंद्र और उसके बाद के निर्णयों पर व्यापक रूप से विचार किया और सरला वर्मा के मामले में प्रदान की गई तालिका को मंजूरी दे दी। रेशमा कुमारी की रिपोर्ट के पैरा 37 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि सरला वर्मा का अनुसरण किया जाए तो घातक दुर्घटना के मामलों में गुणक के चयन में व्यापक बदलाव से बचा जा सकता है।

26. मुन्ना लाल जैन के मामले में जो तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय दिया गया है के पैरा 11 में निम्न प्रकार से टिप्पणी की गयी हैः-

"क्या गुणक आश्रितों की उम्र पर निर्भर होना चाहिए या मृतक की उम्र पर, कुछ समय से विवाद चल रहा है लेकिन रेशमा कुमारी मामले में तीन अन्य न्यायाधीशों की पीठ ने इसे शांत कर दिया है। यह माना गया था कि गुणक का उपयोग मृतक की उम्र के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसका एक कारण यह प्रतीत होता है कि मृतक की उम्र के संबंध में निश्चितता है लेकिन जहां तक आश्रितों की बात है, इस बात पर हमेशा विवाद की गुंजाइश रहेगी कि क्या सबसे बड़े या सबसे छोटे की उम्र या क्या औसत उम्र लिया जाना चाहिए।"

27. उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में किसी भी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं थी और उच्च न्यायालय द्वारा एक ओर त्रिलोक चंद्र और दूसरी ओर उसके बाद के निर्णयों के बीच संघर्ष की कल्पना की गयी थी।

28. यह सच हो सकता है कि एक दुर्धटना का शिकार व्यक्ति 90 वर्षीय माँ को एक आश्रित के रूप में छोड़ सकता है, ऐसे मामलो में यह संभव हो सकता है कि कोई भी त्रिलोक चन्द्र मामले में उठाये गये

[6](2005) 10 एस.सी.सी 720,

सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर सकता है लेकिन जैसा कि आज की तिथि में मुन्ना लाल जैन जो एक बड़ी बैंच का निर्णय है इस प्रकार के मामले में विशेष रूप से हमपर बाध्यकारी है।

29. इस न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा (i) पीड़ित को अंशदायी लापरवाही का दोषी ठहराने, (ii) मृतक के रोजगार एवं मासिक आय के निर्धारण में साक्षी सं. 2 के साक्ष्य को अस्वीकार करने और (iii) 18 के बजाय 14 का गुणक लागू करने में गंभीर चूक की गयी है इसलिए अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा बिना किसी खर्चे के आदेश के न्यायाधिकरण के पंचाट को बहाल किया जाता है।

अपील स्वीकृत

अंकित ज्ञान

अनिल कुमार मिश्र नं- 1
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर